

## सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा/86/2014

दर्ज दिनांक:- 05.08.2014

1. नारायणी पता-

.....प्रार्थी

बनाम

2. ओमपाल पता-

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

तालेराम

प्रार्थी अभिभाषक

अप्रार्थी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-09.02.2018

यह दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,89,188 आरटीए के अंतर्गत पेश होने पर दर्ज किया गया। पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप. बार-बार हिदायत देने के बाबजूद भी तलवी प्रतिवादीगण की नहीं कराई गई। तलवी हेतु कई अवसर देने के साथ साथ अन्तिम अवसर भी दिया गया। किन्तु पालना नहीं की गई है। अतः दावा वादीगण अन्तर्गत 0-9-आर.5-सीपीसी के तहत अपालना में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(पुष्कर कुमार मित्तल)

आर.ए.एस.

सहायक कलेक्टर, भरतपुर